

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री जयसिंह आर.ए.एस.



मि०न० - 17/2021(2021/00032)

अनवान : -

1. राजेश कुमार पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी ढाणी वेरवाल तहसील भादरा।
वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र श्योचंद जाति जाट निवासी ढाणी वेरवाल तहसील भादरा।
2. विनोद पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी ढाणी वेरवाल तहसील भादरा।
3. भतेरी पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी ढाणी वेरवाल तहसील भादरा।
4. मंजूवाला पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी ढाणी वेरवाल तहसील भादरा।
5. कविता पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी ढाणी वेरवाल तहसील भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
7. भारतीय स्टेट बैंक, शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।

प्रतिवादीगण


दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री पवन सिहाग वादी
श्री रोहताश शर्मा प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक : 29/01/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 3 एमएसआर के वर्तमान खाता संख्या 186/179, 180 के मुरब्बा नम्बर 46 के किला नं० 6 ता 9, 11 ता 18 प्रत्येक की 0.253 हैक्टेयर, मुरब्बा नं० 77 के किला नं० 8 की 0.051 हैक्टेयर किला नं० 9 की 0.240 हैक्टेयर, किला नं० 11 की 0.240 हैक्टेयर, किला नं० 12 की 0.051 हैक्टेयर, किला नं० 20 की 0.051 हैक्टेयर, मुरब्बा नं० 96 के किला नं० 22 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टेयर, मुरब्बा नं० 97 के किला नं० 21 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टेयर, मुरब्बा नं० 98 के किला नं० 16, 21 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टेयर, मुरब्बा नं० 103 के किला नं० 1 ता 5 प्रत्येक की 0.253 हैक्टेयर, किला नं० 6 की 0.063 हैक्टेयर, किला नं० 7 की 0.164 हैक्टेयर, किला नं० 8 की 0.228 हैक्टेयर, किला नं० 9, 10 प्रत्येक की 0.253 हैक्टेयर, किला नं० 12 की 0.126 हैक्टेयर, किला नं० 13 की 0.038 हैक्टेयर, मु० नं० 104 के किला नं० 1 ता 9 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टेयर, मुरब्बा नं० 105 के किला नं० 2 ता 5 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टेयर, कुल किला 57 के कुल क्षेत्रफल 13.1430 हैक्टेयर में से 9.3990 हैक्टेयर नहरी, 3.6690 हैक्टेयर बाराणी, गै० मु० खाला 0.075 हैक्टेयर, खातेदारी कास्तकारी कृषि भूमि में प्रतिवादी नं० 1 का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।


उपखण्डाधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते हैं। वाद भूमि पहले वादी के दादा श्योचंद की खातेदारी हुआ करती थी। श्योचंद के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी जगदीश ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी जगदीश के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश को वादी के दादा श्योचंद से विरासतन प्राप्त हुई है। जो जमाबन्दी खतौनी ग्राम चक 3 एमएसआर खाता संख्या 124, जमाबन्दी खतौनी ग्राम चक 3 एमएसआर खाता संख्या 45/42 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादिया संख्या 2 ता 5 वादी की बहिनें हैं, जिन्होंने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक में हिस्सा बराबर तर्क किया हुआ है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी राजेश कुमार पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी ढाणी बेरवाल के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबन्दी चक 3 एमएसआर सम्वत 2073-76 खाता संख्या 186/179, 180 प्रदर्श 1, जमाबन्दी खतौनी 3 एमएसआर खाता संख्या 124 प्रदर्श 2, जमाबन्दी खतौनी 3 एमएसआर खाता संख्या 45/42 प्रदर्श 3, सरपंच ग्राम पंचायत सरदारगढ़िया द्वारा सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श 4, प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।


हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मौजा चक 3 एमएसआर के वर्तमान खाता संख्या 186/179, 180 के मुरब्बा नम्बर 46 के किला नं० 6 ता 9, 11 ता 18 प्रत्येक की 0.253 हैक्टेयर, मुरब्बा नं० 77 के किला नं० 8 की 0.051 हैक्टेयर किला नं० 9 की 0.240 हैक्टेयर, किला नं० 11 की 0.240 हैक्टेयर, किला नं० 12 की 0.051 हैक्टेयर, किला नं० 20 की 0.051 हैक्टेयर, मुरब्बा नं० 96 के किला नं० 22 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टेयर, मुरब्बा नं० 97 के किला नं० 21 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टेयर, मुरब्बा नं० 98 के किला नं० 16, 21 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टेयर, मुरब्बा नं० 103 के किला नं० 1 ता 5 प्रत्येक की 0.253 हैक्टेयर, किला नं० 6 की 0.063 हैक्टेयर, किला नं० 7 की 0.164 हैक्टेयर, किला नं० 8 की 0.228 हैक्टेयर, किला नं० 9, 10 प्रत्येक की 0.253 हैक्टेयर, किला नं० 12 की 0.126 हैक्टेयर, किला नं० 13 की 0.038 हैक्टेयर, मु० नं० 104 के किला नं० 1 ता 9

प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टेयर, मुरब्बा नं० 105 के किला नं० 2 ता 5 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टेयर, कुल कित्ता 57 के कुल क्षेत्रफल 13.1430 हैक्टेयर में से 9.3990 हैक्टेयर नहरी, 3.6690 हैक्टेयर बारानी, गै० मु० खाला 0.075 हैक्टेयर, खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना सावित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 एमएसआर के वर्तमान खाता संख्या 186/179, 180 के मुरब्बा नम्बर 46 के किला नं० 6 ता 9, 11 ता 18 प्रत्येक की 0.253 हैक्टेयर, मुरब्बा नं० 77 के किला नं० 8 की 0.051 हैक्टेयर किला नं० 9 की 0.240 हैक्टेयर, किला नं० 11 की 0.240 हैक्टेयर, किला नं० 12 की 0.051 हैक्टेयर, किला नं० 20 की 0.051 हैक्टेयर, मुरब्बा नं० 96 के किला नं० 22 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टेयर, मुरब्बा नं० 97 के किला नं० 21 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टेयर, मुरब्बा नं० 98 के किला नं० 16, 21 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टेयर, मुरब्बा नं० 103 के किला नं० 1 ता 5 प्रत्येक की 0.253 हैक्टेयर, किला नं० 6 की 0.063 हैक्टेयर, किला नं० 7 की 0.164 हैक्टेयर, किला नं० 8 की 0.228 हैक्टेयर, किला नं० 9, 10 प्रत्येक की 0.253 हैक्टेयर, किला नं० 12 की 0.126 हैक्टेयर, किला नं० 13 की 0.038 हैक्टेयर, मु० नं० 104 के किला नं० 1 ता 9 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टेयर, मुरब्बा नं० 105 के किला नं० 2 ता 5 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टेयर, कुल कित्ता 57 के कुल क्षेत्रफल 13.1430 हैक्टेयर में से 9.3990 हैक्टेयर नहरी, 3.6690 हैक्टेयर बारानी, गै० मु० खाला 0.075 हैक्टेयर, खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उसमें वादी राजेश कुमार व प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश दोनों को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के द्वारा त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29/01/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में




(जयसिंह)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़